(82)

कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0बजट-46/2015 (खण्ड-3)- 711 दिनांक : 19.05.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/ खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा/ गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा/ पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़/ साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज/ जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर/ सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला/ चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" (पुरानी-पथतट रोपण-सह-शहरी वानिकी) योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस गैबियन से किये गये वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल **रू0 190.175 लाख (एक करोड़ नब्बे लाख सतरह हजार पाँच सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-09/2011-44/ व0प0 दिनांक 16.12.2013 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0-09/2011-28/आ0 व0प0 दिनांक 25.04.2015 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 190.175 लाख (एक करोड़ नब्बे लाख सतरह हजार पाँच सौ रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601102590103	183.688
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601102590323	6.487
कुल :-		**190.175**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के **अनुलग्नक–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** एवं कार्यदर **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19P240601102590103 तथा पी0 19P240601102590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस कार्यालय के पत्रांक 535 दिनांक 13.04.2016 द्वारा आपूर्ति एवं सामग्री मद में 69.50 रू0 प्रति बाँस गैबियन मरम्मति सहित माँग की गई थी, लेकिन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति राशि के अधीन मजदूरी दर 221.61 रू0 तथा आपूर्ति एवं सामग्री मद में मात्र 9.00 रू0 प्रति बाँस गैबियन के दर से राशि का आवंटन किया गया है। यदि विभाग द्वारा पुनः राशि आवंटित की जाती है, तो अतिरिक्त राशि 60.50 रू0 प्रति गैबियन के दर से उप आवंटित की जायेगी।

5. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम–300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. बाँस गैबियन में कम से कम पाँच फीट औसत ऊँचाई के काष्ठ, फल एवं शोभदार प्रजाति के पौधें वृक्षों का रोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण योजना के सामपन वर्ष में औसत 8 फीट सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के अन्त में औसत 11 फीट एवं चतुर्थ वर्ष (द्वितीय सम्पोषण कार्य) में 15 फीट औसत ऊँचाई प्राप्त किया जायेगा।

8. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

9. नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना कासफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ ततद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. योजना में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप की जायेगी।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभ्ज्ञाग को तुरंत देंगे।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनायें क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

17. योजना के अंतर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदण्डों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

18. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

79

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
9/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\44 dt 16.12.2013 (1)\S.O. 44 dt 16.12.2013 (1).doc

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–46/2015 (खण्ड–3)– 711** दिनांक– **19.05.16**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, हजारीबाग/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

19/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\RSP\44 dt 16.12.2013 (1)\S.O. 44 dt 16.12.2013 (1).doc

77

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु एक ही स्थल/ पथ आदि पर पूर्व स्वीकृत योजना द्वारा भी वृक्षारोपण आदि का कार्य न हो।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–46/2015 (खण्ड–3)– 711** दिनांक– **19.05.16**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, हजारीबाग/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–46/2015 (खण्ड–3)– 711** दिनांक– **19.05.16**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/ कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ/ कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/ कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़/ कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

19/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "पथतट रोपण–सह–शहरी वानिकी योजना" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का जिला एवं प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रू0 लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन की संख्या)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	राँची	राँची वन प्रमण्डल, राँची	14000	35.678	1.260	36.938
2	खूँटी	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	1577	4.019	0.142	4.161
3	लोहरदगा	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	3000	7.646	0.270	7.916
4	सिमडेगा	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	6000	15.290	0.540	15.830
5	गुमला	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	1500	3.823	0.135	3.958
6	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	1500	3.823	0.135	3.958
7	दुमका	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	8500	21.661	0.765	22.426
8	गोड्डा	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	2500	6.371	0.225	6.596
9	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	1000	2.549	0.090	2.639
10	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	1000	2.549	0.090	2.639
11	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	1000	2.549	0.090	2.639
12	जमशेदपुर	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	3000	7.646	0.270	7.916
13	सरायकेला–खरसावाँ	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	2000	5.097	0.180	5.277
14	चाईबासा	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	1500	3.823	0.135	3.958
15	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	1000	2.549	0.090	2.639
16	राँची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	10000	25.484	0.900	26.384
17	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	4000	10.193	0.360	10.553
18	जमशेदपुर	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	3000	7.646	0.270	7.916
19	चाईबासा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	3000	7.646	0.270	7.916
20	दुमका	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	3000	7.646	0.270	7.916
	योग :–		**72077**	**183.688**	**6.487**	**190.175**

नोट :– पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही राशि का उप आवंटन किया जा रहा है। आपूर्ति एवं सामग्री मद में प्रस्तावित राशि के अनुरूप सरकार से आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए यदि आपूर्ति एवं सामग्री मद में पुनः आवंटन प्राप्त होता है, तो अतिरिक्त राशि का उप आवंटन किया जायेगा।

19/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

75

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-46/15/711 दिनांक - 19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26623	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	3,567,800.00 रुपये पैतीस लाख सड़सठ हजार आठ सौ
2	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26626	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	401,900.00 रुपये चार लाख एक हजार नौ सौ
3	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26628	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	764,600.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार छः सौ

योग: 4,734,300.00

क्रमिक योग: रुपये सैतालीस लाख चौतीस हजार तीन सौ

19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 19/5/2016

44

पत्र संख्या - 01/YB-46/15/711

दिनांक - 19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26630	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,529,000.00 रुपये पंद्रह लाख उन्तीस हजा
5	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26632	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सै
6	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26635	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सै
7	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26637	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	2,166,100.00 रुपये इक्कीस लाख छाछठ हजार एक सै

योग: 4,459,700.00

क्रमिक योग: रुपये इनकानवे लाख चौरानवे हजार 9,194,000.00

Chauhan 19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26638	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	637,100.00 रुपये छः लाख सैतीस हजार एक सं
9	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26640	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	254,900.00 रुपये दो लाख चौपन हजार नौ सं
10	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26642	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	254,900.00 रुपये दो लाख चौपन हजार नौ सं
11	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26643	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	254,900.00 रुपये दो लाख चौपन हजार नौ सं

योग: 1,401,800.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड पॉच लाख पिनचानवे हजार आठ सौ 10,595,800.00

19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/YB-46/15/711 दिनांक - May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26644	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	764,600.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार छः सौ
13	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26646	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	509,700.00 रुपये पॉच लाख नौ हजार सात सौ
14	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26647	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	382,300.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार तीन सौ
15	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26650	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	254,900.00 रुपये दो लाख चौपन हजार नौ सौ

योग: 1,911,500.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड पच्चीस लाख सात हजार तीन सौ 12,507,300.00

19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDl.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26651	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	2,548,400.00 रुपये पच्चीस लाख अडतालीस हजार चार सौ
17	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26653	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	1,019,300.00 रुपये दस लाख उन्नीस हजार तीन सौ
18	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26654	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	764,600.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार छः सौ
19	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26655	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	764,600.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार छः सौ

योग: 5,096,900.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड छहत्तर लाख चार हजार दो सौ 17,604,200.00

Chauhan 19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDl.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

40/

पत्र संख्या - 01/YB-46/15/711 दिनांक - 1?-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601102590103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	26657	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	764,600.00 रुपये सात लाख चौसठ हजार छः सं
21	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26661	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	126,000.00 रुपये एक लाख छब्बीस हजा
22	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26662	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	14,200.00 रुपये चौदह हजार दो सं
23	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26664	LDGFOR001 S.R.NATESH DIV.FOREST OFFICER	27,000.00 रुपये सत्ताइस हजा

योग: 931,800.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड पिचयासी लाख छत्तीस हजार 18,536,000.00

19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/YB-46/15/711 दिनांक - 19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26665	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	54,000.00 रुपये चौपन हजा
25	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26667	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	13,500.00 रुपये तेरह हजार पॉच सं
26	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26668	LTRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY DFO FOREST DIV LATEHAR	13,500.00 रुपये तेरह हजार पॉच सं
27	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26670	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O.DUMKA	76,500.00 रुपये छहत्तर हजार पॉच सं

योग: 157,500.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड छियासी लाख तिरनावे हजार पॉच सौ 18,693,500.00

19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

68

पत्र संख्या - 01/YB-46/15/711 दिनांक - May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26672	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	22,500.00 रुपये बाइस हजार पॉच सं
29	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26673	PKRFOR001 NAGENDRA BAITHA DIVISIONAL FOREST OFFICER	9,000.00 रुपये नौ हजा
30	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26674	SBJFOR001 SRI KRISHNA KANT TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ	9,000.00 रुपये नौ हजा
31	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26676	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	9,000.00 रुपये नौ हजा

योग: 49,500.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड सित्यासी लाख तीरयालीस हजार 18,743,000.00

19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDl.PCCF.DEV.JHARKHAND

(67)

पत्र संख्या - 01/YB-46/15/711 दिनांक - 19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
32	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26678	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	27,000.00 रुपये सत्ताइस हजार
33	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26679	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	18,000.00 रुपये अठारह हजार
34	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26680	SGHFOR010 KUMAR ASHUTOSH (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	13,500.00 रुपये तेरह हजार पॉच सौ
35	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26681	LTRFOR004 RAMESH PRASAD SINGH D.F.O. SFD LATEHAR	9,000.00 रुपये नौ हजार

योग: 67,500.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड अठयासी लाख दस हजार पॉच सौ 18,810,500.00

19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

66)

पत्र संख्या - 01/YB-46/15/711 दिनांक - May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
36	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26682	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	90,000.00 रुपये नब्बे हजार
37	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26683	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	36,000.00 रुपये छत्तीस हजार
38	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26684	JSRFOR116 SHIV KR PRASAD D.F.O.ADITYAPUR S.F.DIV.JSR.	27,000.00 रुपये सत्ताइस हजार
39	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26686	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	27,000.00 रुपये सत्ताइस हजार

योग: 180,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड नवासी लाख नब्बे हजार पाँच सौ 18,990,500.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	P 19 240601102590323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	26687	DMKFOR003 SRI ARUN KISPOTTA D.F.O.S.F.DIVDUMKA	27,000.00 रुपये सत्ताइस हजा

योग: 27,000.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड नब्बे लाख स त्र ह हजार पॉच सौ 19,017,500.00

19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 19/5/2016

अनुलग्नक–3

कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस –गैबियन में वृक्षारोपन

1. बाँस–गैबियन का आकारः 6'-6"x2'-6"x2'-6"

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	मानव दिवस (प्रति हे0)	मजदूरी, (रू0)	सामग्री प्रति हे0	कुल व्यय (रू0)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम– 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीयः 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीयः 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	0.15	33.24	4.50	**37.74**	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	0.50	110.81	5.00	**115.81**	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	0.50	110.81	60.00	**170.81**	
	योग	**1.15**	**254.85**	**69.50**	**324.35**	

19/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची